न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

मोहनलाल / पोखरमल

186/2015 दावा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि[illegible]
	22-4-2022	पत्रावली पेश हुई। वजह P.O साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते आदेश प्रा० पत्र O7 R11 हेतु दिनांक 27/4/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	27.4.2022	पत्रावली पेश हुई। वजह प्रा० पत्र O7 R11 स्वीकार किया जाकर वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 186/2015
बउनवानी – मोहन बनाम पोखर वगै.
निर्णय दिनांक – 27.04.2022

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा आर.ए.एस.

मोहन लाल पुत्र कजोड जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

––––वादी

बनाम

1. पोखर मल पुत्र भूरा

1/1 किशनी देवी पत्नी पोखर

1/2 रामेश्वर लाल पुत्र पोखर मल

1/3 जगदीश प्रसाद पुत्र पोखर मल

1/4 राजकुमार पुत्र पोखरमल

1/5 मालीराम पुत्र पोखरमल

समस्त जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/6 ममता देवी पुत्री पोखरमल पत्नी बाबुलाल निवासी धाना बाबा की ढाणी ग्राम भैसावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

2. हरजी पुत्र बोदू
3. कालू पत्र बोदू
4. काना पुत्र ईश्वर (फोत)

4/1 अमरचन्द पुत्र काना

4/2 धापा पत्नी काना

समस्त जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/3 सरस्वती पुत्री काना पत्नी अर्जुन

4/4 नंछी पुत्री काना पत्नी मालीराम

4/5 पांची पुत्री काना पत्नी मालीराम

4/6 रामादेवी पुत्री काना पत्नी भागीरथ

समस्त जाति जाट निवासी ओला की ढाणी ग्राम रामपुरा तहसील किशनगढ रेनवा[illegible] जयपुर।

4/7 आंची देवी पुत्री कानाराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी गरेडी की [illegible]लसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. रामलाल पुत्र गोपाल
6. प्रकाश पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

7. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

———— प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

9. लाला राम उर्फ श्रवण पुत्र कजोड
10. गजानन्द पुत्र कजोड
11. बाबूलाल पुत्र कजोड
समस्त जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

————दर्शनीय प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) श्री बन्शीधर जाट अधिवक्ता – वादी की ओर से
(2) श्री के. आर. शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या – 1 ओर से

दिनांक:–27.04.2022

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 पोखरमल की ओर से 24.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलवाई गई। तत्पश्चात् बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्यों को पुनः उल्लेखित कर यह प्रकट किया गया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद विधि बाधित है जो प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। मूलवाद पत्र में वर्णित आराजीयात् में से 2.43 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2014 को विभिन्न व्यक्तियों को किया गया। जिसके आधार पर केतागण के नाम पर नामान्तरकण किया जाकर जमाबंदी में अंकन किये जा चुके है। विवादित आराजीयात में से विनिमय पत्र के आधार पर एक एक नामान्तकरण दिनांक 28.01.2015 को भी किया गया है। विवादित आराजीयात के कुछ हिस्से के बेचान दिनांक 03.07.2015 को 4 विकयपत्रों के आधार पर किया जाकर संबंधित केतागणों के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी अंकित की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा जानबूझाकर विभन्न विक्रय ... विनिमय पत्र के बारे में साक्ष्य वाद पत्र में तथ्य वर्णित नहीं किये गये है एवं संबंधित व्यक्ति...ण ... पक्षकार के रूप में वाद पत्र में संशोधित नहीं किया गया है। विवादित आराजीयात ... 92 से पूर्व ही लिखित सहमति के आधार पर विभाजन किया गया था। इस प्रकार दावा कालातीत है। दिनांक 05.07.2015 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसप्रकार वाद विधि बाधित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसके विपरीत वादी के अधिवक्ता का कथन है कि वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्राप्त है पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। घोषणात्मक अनुतोष हेतु कोई समयावधि निश्चित नहीं है वादी द्वारा वाद को सुस्पष्ट अंकन किया गया है। मात्र तकनीकी आधारो पर वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किय जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष को सुना, तर्को का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वर्तमान जमाबंदी में अंकित समस्त खातेदारान को पक्षकारान के रूप में वाद पत्र मे संयोजित नहीं किया गया है। हस्तगत वाद पत्र की प्रस्तुति के उपरान्त भी वादी द्वारा जानबूझकर आवश्यक व्यक्तिगण को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया। विवादित आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी में अभिलिखित समस्त व्यक्तिगण की उपस्थिति के बिना वाद में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं कि जा सकती है। वाद की प्रस्तुति से पूर्व विवादित आराजीयात के कुछ हिस्से का स्थानान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया है तथा एक विनियम पत्र भी निष्पादित किया गया है। जिसके विषयगत कोई तथ्य वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण में करीब 32 वर्ष पूर्व संबंधित पक्षकारगण की लिखित सहमति के आधार पर कृषि आराजीयात का विभाजन किया गया है जिसके विषयगत अस्पष्टीकृत दीर्घ विलम्ब के पश्चात हस्तगत वाद प्रस्तुत हुआ है जो सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। इसप्रकार वादी का वाद इस न्यायालय के मत में उपरोक्त विवेचानुसार पंजीकृत विक्रय पत्र एवं लिखित विभाजन सहमति के विषयगत कोई अभिवचन एवं अनुतोष प्राप्ती हेतु तथ्यों के अभिवर्णन के अभाव में एवं आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने के कारण विधि बाधित है। इस प्रकार वाद वादी विधि बाधित होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण की पत्रावली [illegible] होकर दाखित दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर